



The Rajasthan River Basin and Water Resources
Planning Act, 2015

Act 15 of 2015

Keyword(s):

River Basin, Water Resources Planning, Aquifer, Four Waters Concept, Fund, Integrated Multi Disciplinary Approach, Pressure Irrigation, Sub Basin Watershed

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज—पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 4, शुक्रवार, शाके 1937—अप्रैल 24, 2015
Vaisakha 4, Friday, Saka 1937—April 24, 2015

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 24, 2015

संख्या प. 2 (45) विधि/2/2014:—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 15)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई]

नदियों को, उनके अधिक्य से अभावग्रस्त बेसिनों और उप-बेसिनों से जोड़ने, अन्तःबेसिन जल अंतरण को सम्मिलित करते हुए भूगर्भ और सतह जल के अधिकतम और पर्याप्त उपयोग को सुनिश्चित करने, राज्य स्तरीय जल संसाधन योजनाओं को विकसित करने, बेसिनों, उप-बेसिनों, एक्वीफरों और वाटरशैडों के अन्तर्गत आने वाले समस्त वाटरशैडों, सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं की योजना द्वारा पोषणीय आधार पर नदी बेसिनों और उप-बेसिनों के प्रबन्धन और विकास के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन पहुंच को अंगीकृत करने और राज्य जल संसाधन सलाहकार परिषद् तथा राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए और राजस्थान जल संसाधन विनियामक अधिनियम, 2012 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:—

अध्याय 1**प्रारम्भिक**

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "एक्वीफर" से किसी पानी भरने वाली पारगम्य चट्टान की भूगर्भित परत या असमेकित सामग्री (कंकर, रेत या गाद), जिसमें से भूगर्भ जल का निष्कर्षण किया जा सके, अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से धारा 5 के अधीन गठित राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "आयुक्त" से धारा 7 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का आयुक्त अभिप्रेत है;

(घ) "परिषद्" से धारा 3 के अधीन गठित राज्य जल संसाधन सलाहकार परिषद् अभिप्रेत है;

(ङ) "चार जल संकल्पना" से वर्षा जल, सतह जल, भूगर्भ जल और मृदा नमी का प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करके नदियों को सक्रिय बनाये जाने और नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए एकीकृत सिंचित और जलागम क्षेत्र विकास की संकल्पना अभिप्रेत है;

(च) "निधि" से धारा 11 के अधीन गठित निधि अभिप्रेत है;

(छ) "एकीकृत जल संसाधन प्रबंध" से ऐसी प्रक्रिया जो जल संसाधनों के समन्वित विकास और प्रबंध को प्रोन्नत करती है, अभिप्रेत है;

(ज) "एकीकृत बहु-विषयक पद्धति" से ऐसी योजना अभिप्रेत है जिसमें विभिन्न सेक्टरों जैसेकि अभियांत्रिकी, योजना, अर्थशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान अन्तर्वलित हैं;

- (झ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ञ) "दबाव सिंचाई" से सिंचाई में जल के प्रभावी उपयोग के लिए फव्वारा या बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली अभिप्रेत हैं;
- (ट) "विनियम" से धारा 22 के अधीन बनाये गये प्राधिकरण के विनियम अभिप्रेत हैं;
- (ठ) "नदी बेसिन" से भूमि का ऐसा क्षेत्र, जिसमें किसी नदी और उसकी वितरिकाओं द्वारा जल निकास किया जाता है और जो नदी बेसिन योजना के लिए हाइड्रोलोजिकल इकाई है, अभिप्रेत है;
- (ड) "नियम" से धारा 21 के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;
- (ढ) "राज्य जल नीति" से राज्य की जल नीति अभिप्रेत है;
- (ण) "उप-बेसिन" से राज्य के भीतर नदी बेसिन की कोई हाइड्रोलोजिकल इकाई, या कोई हाइड्रोलोजिकल उप-इकाई अभिप्रेत है;
- (त) "वाटरशैड" से ऐसा रीजन या क्षेत्र अभिप्रेत है जो विभाजक द्वारा परिधीय रूप में घिरा हुआ हो और जिसका वाटरशैड अन्त में किसी जलमार्ग या जलराशि में हो;
- (थ) "जल संबंधी विभाग" से राज्य के जल संसाधनों की योजना और उपयोग में अंतर्वलित विभाग अभिप्रेत हैं।

अध्याय 2

राज्य जल संसाधन सलाहकार परिषद्

3. राज्य जल संसाधन सलाहकार परिषद्- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उसे इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उसे समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए राजस्थान राज्य जल संसाधन सलाहकार परिषद् के नाम से एक परिषद् गठित करेगी।

(2) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्-

- | | | |
|--------|---|-------------|
| (i) | मुख्यमंत्री | अध्यक्ष; |
| (ii) | राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण का अध्यक्ष | सदस्य; |
| (iii) | जल संसाधन विभाग का प्रभारी मंत्री | सदस्य; |
| (iv) | कृषि विभाग का प्रभारी मंत्री | सदस्य; |
| (v) | ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का प्रभारी मंत्री | सदस्य; |
| (vi) | जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग का प्रभारी मंत्री | सदस्य; |
| (vii) | वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री | सदस्य; |
| (viii) | योजना विभाग का प्रभारी मंत्री | सदस्य; |
| (ix) | नगरीय विकास एवं आवासन विभाग का प्रभारी मंत्री | सदस्य; |
| (x) | उद्योग विभाग का प्रभारी मंत्री | सदस्य; |
| (xi) | पर्यावरण एवं वन विभाग का प्रभारी मंत्री | सदस्य; |
| (xii) | जल संसाधन विभाग का प्रभारी राज्य मंत्री | सदस्य; |
| (xiii) | राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग में मुख्य अभियंता के रूप में अनुभव को सम्मिलित करते हुए, जल संसाधन सेक्टर में कम से कम बीस वर्षों का अनुभव रखने वाले चार व्यक्ति | सदस्य; |
| (xiv) | मुख्य सचिव | सदस्य-सचिव। |

(3) उप-धारा (2) के खण्ड (xiii) में विनिर्दिष्ट सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे और ऐसा सदस्य उस तारीख से, जब वह उसका पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की कालावधि तक या राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा।

(4) उप-धारा (2) के खण्ड (xiii) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के पारिश्रमिक और भत्तों को सम्मिलित करते हुए, सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

(5) उप-धारा (2) के खण्ड (xiii) में विनिर्दिष्ट सदस्य परिषद् के अध्यक्ष को लिखित नोटिस तीस दिवस पूर्व प्रस्तुत कर अपना पद त्याग सकेगा।

(6) परिषद् का मुख्यालय जयपुर में या ऐसे अन्य स्थान पर होगा जहां राज्य सरकार अधिसूचित करे।

(7) परिषद् की बैठक छह मास में कम से कम एक बार होगी; तथापि, अध्यक्ष को किसी भी समय परिषद् की बैठक बुलाने की शक्ति होगी।

(8) परिषद् अपनी बैठकों में कार्य संचालन के दौरान प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो विहित किये जायें।

(9) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में परिषद् की बैठक की अध्यक्षता इस प्रयोजन के लिए अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किसी अन्य सदस्य द्वारा की जायेगी।

4. परिषद् की शक्तियां और कृत्य.- परिषद्, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-

- (क) राज्य सरकार को राज्य जल नीति के अनुरूप एकीकृत जल संसाधन प्रबंध नीति की सलाह देना और सिफारिश करना;
- (ख) प्राधिकरण के कृत्यकरण का पर्यवेक्षण करना और उसे मानीटर करना;
- (ग) प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत राज्य की एकीकृत जल संसाधन योजना पर विचार करना और उसे उपांतरणों सहित या उपांतरणों के बिना अनुमोदित करना;
- (घ) प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत जल संसाधन विकास परियोजनाओं पर विचार करना और उसे उपांतरणों सहित या उपांतरणों के बिना अनुमोदित करना;
- (ङ) राज्य सरकार को अन्तर-बेसिन और अन्तर उप-बेसिन जल अन्तरण की सिफारिश करना;
- (च) एकीकृत जल संसाधन विकास हेतु नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना।

अध्याय 3

राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण

5. राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण का गठन.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् यथाशक्त्थ शीघ्र, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उसे इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और उसे समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन करेगी।

(2) उक्त प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा जिसे शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होगा और जिसकी सामान्य मुहर होगी और जिसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्तियों का अर्जन, धारण एवं व्ययन करने, और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(3) प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्:-

- | | | |
|--------|---|--------|
| (i) | मुख्य सचिव | सदस्य; |
| (ii) | जल संसाधन विभाग का सचिव | सदस्य; |
| (iii) | वित्त विभाग का सचिव | सदस्य; |
| (iv) | जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग का सचिव | सदस्य; |
| (v) | पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग का सचिव | सदस्य; |
| (vi) | नगरीय विकास एवं आवासन विभाग का सचिव | सदस्य; |
| (vii) | स्थानीय स्वशासन विभाग का सचिव | सदस्य; |
| (viii) | पर्यावरण एवं वन विभाग का सचिव | सदस्य; |
| (ix) | उद्योग विभाग का सचिव | सदस्य; |
| (x) | सिंचित क्षेत्र विकास विभाग का सचिव | सदस्य; |
| (xi) | कृषि विभाग का सचिव | सदस्य; |
| (xii) | जलग्रहण और मृदा संरक्षण विकास | |

- | | | |
|--------|---|-------------|
| | विभाग का निदेशक | सदस्य; |
| (xiii) | जल संसाधन अभियांत्रिकी के क्षेत्र से दो विशेषज्ञ | सदस्य; |
| (xiv) | जल संसाधन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से दो विशेषज्ञ | सदस्य; |
| (xv) | राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण का आयुक्त | सदस्य-सचिव। |

(4) अध्यक्ष और विशेषज्ञ-सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे और अध्यक्ष और विशेषज्ञ-सदस्य उस तारीख से, जिसको वे अपना पद ग्रहण करते हैं, पांच वर्ष या राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।

(5) अध्यक्ष और विशेषज्ञ-सदस्यों के पारिश्रमिक और भत्तों को सम्मिलित करते हुए उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

(6) अध्यक्ष या विशेषज्ञ-सदस्य राज्य सरकार को तीस दिवस पूर्व लिखित नोटिस के द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा।

(7) प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर या ऐसे अन्य स्थान पर होगा जैसाकि राज्य सरकार अधिसूचित करे।

(8) प्राधिकरण की बैठक तीन मास में कम से कम एक बार होगी; तथापि, अध्यक्ष को किसी भी समय प्राधिकरण की बैठक आहूत करने की शक्ति होगी।

(9) प्राधिकरण इसकी बैठकों में कार्य संचालन के दौरान प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विहित किये जायें।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सचिव" से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव है, जब वह विभाग का/की प्रभारी हो।

6. समितियां गठित करने की शक्ति.- प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए अपने सदस्यों में से या अन्यथा इतनी समितियां गठित कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और ऐसी समितियों को इस अधिनियम के अधीन अपनी

शक्तियों में से ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन, किसी शर्त के साथ या शर्त के बिना, जो वह ठीक समझे, कर सकेगा।

7. प्राधिकरण के कर्मचारिवृन्द.- (1) राज्य सरकार द्वारा शासन सचिव से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को प्राधिकरण का आयुक्त नियुक्त किया जायेगा।

(2) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकरण में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों की इतनी संख्या और प्रवर्ग सृजित कर सकेगा जितने वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे और उन पर नियुक्ति कर सकेगा।

(3) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसाकि प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा अवधारित किया जाये और ये निधि में से संदत्त किये जायेंगे।

(4) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इतने विशेषज्ञों या तकनीकी व्यक्तियों को भी संविदा के आधार पर ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसाकि अवधारित किया जाये, जितने वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे, रख सकेगा और ऐसे विशेषज्ञों या तकनीकी व्यक्तियों को लगाने के कारण उपगत व्यय को निधि में से संदत्त किया जायेगा।

(5) प्राधिकरण का आयुक्त और अन्य अधिकारी और कर्मचारी अध्यक्ष के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहेंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो उन्हें प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रदत्त या समनुदेशित किये जायें।

8. रिक्तियों इत्यादि, से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना.- प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारण से अविधिमान्य नहीं होगी-

(क) प्राधिकरण में किसी रिक्ति या प्राधिकरण के गठन में किसी त्रुटि से; या

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में किसी त्रुटि से; या

(ग) मामले के गुणागुण को प्रभावित न करने वाली प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई अनियमितता।

9. आदेशों, इत्यादि का अधिप्रमाणन.- प्राधिकरण की समस्त कार्यवाहियां अध्यक्ष या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित की जायेंगी और प्राधिकरण के सभी अन्य आदेश और लिखतें इसके विनियमों द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की जायेंगी।

10. प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य.- प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:-

- (क) राज्य सरकार के जल संसाधन योजना विभाग द्वारा परिषद् को प्रस्तावित की गयी एकीकृत राज्य जल संसाधन योजना की सिफारिश करना;
- (ख) परिषद् को बेसिन और उप-बेसिन के अनुसार योजनाओं के आधार पर राज्य सरकार के जल संसाधन योजना विभाग द्वारा प्रस्तावित की गयी जल संसाधन परियोजनाओं की सिफारिश करना;
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार के जल संसाधन योजना विभाग द्वारा प्रस्तावित एकीकृत राज्य जल संसाधन योजना और जल संसाधन परियोजनाएं आर्थिक, हाइड्रोलोजिकल और पर्यावरणीय विविधता के अनुरूप हैं और जहां सुसंगत हो, वहां अन्तर-राज्यीय करारों और जल विवाद अधिकरणों के अधिनिर्णयों के अधीन राज्य की बाध्यताओं के अनुरूप हैं;
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार के जल संसाधन योजना विभाग द्वारा प्रस्तावित एकीकृत राज्य जल संसाधन योजना और जल संसाधन परियोजनाएं एकीकृत जल संसाधन प्रबंध की संकल्पना के अनुरूप हैं;
- (ङ) सतह जल के सर्वोत्तम और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, नदियों को परस्पर जोड़े जाने

- सहित, अधिक जल वाले बेसिनों से अभावग्रस्त बेसिनों को अंतर बेसिन जल अंतरण के लिए, परिषद् को सिफारिश करना;
- (च) मुख्य नदियों और नहरों में अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए नौ परिवहन सुविधाओं का विकास करने हेतु प्रयास करना;
- (छ) निम्नलिखित गतिविधियों का जिम्मा लेते हुए नदियों और इनकी धाराओं को बारहमासी या अधिकांशतः बारहमासी बनाने के लिए कार्य योजना निश्चित करना-
- (i) वाटरशैड का विकास;
 - (ii) सूक्ष्म या अल्प सिंचाई टैंकों का सन्निर्माण;
 - (iii) सूक्ष्म या अल्प सिंचाई टैंकों के अवप्रवाही रोक बांधों का सन्निर्माण;
 - (iv) नदियों की धाराओं पर बैराजों की श्रृंखलाओं का सन्निर्माण;
- (ज) परिषद् द्वारा पारित समस्त विनिश्चयों, निदेशों और संकल्पों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- (झ) जल संसाधन योजनाओं या परियोजनाओं के दक्ष क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय करना;
- (ञ) एक व्यापक हाइड्रो-मेट्रोलोजिकल सूचना डाटाबेस के विकास, अनुरक्षण और प्रसारण को सुकर बनाना और सुनिश्चित करना;
- (ट) जल संसाधनों के दक्ष उपयोग के लिए दबाव सिंचाई को प्रोन्नत करना;
- (ठ) शारदा-यमुना, यमुना-राजस्थान और राजस्थान-साबरमती की परस्पर जोड़ने वाली परियोजनाओं और ऐसी अन्य मुख्य नदियों को परस्पर जोड़ने वाली परियोजनाओं, को परस्पर जोड़ने के ऐसे प्रयास करना, जैसाकि परिषद् या राज्य सरकार निदेश दे;

(ड) ऐसे अल्प सिंचाई टैंकों और नदियों में जो वर्षानुवर्षी हो गयी हैं, मत्स्य पालन के विकास के लिए प्रयास करना।

11. प्राधिकरण की निधि.- (1) प्राधिकरण एक निधि का गठन करेगा जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त धन जमा होगा जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे:-

(क) ऐसा धन जो राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या एजेन्सी द्वारा अनुदानों, उधारों, अग्रिमों द्वारा या अन्यथा, प्राधिकरण को संदत्त किया जाये;

(ख) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अन्य कोई रकम।

(2) प्राधिकरण निधि में से ऐसी धनराशि जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जाये, किसी अनुसूचित बैंक या किसी सहकारी बैंक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित अन्य बैंक में बचत या जमा खाते में रख सकेगा और उक्त राशि से अधिक कोई धनराशि ऐसी रीति से विनिहित की जायेगी जो कि विनियमों द्वारा अवधारित की जाये।

(3) ऐसे खातों का संचालन प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसे उसके द्वारा विनियमों द्वारा प्राधिकृत किया जाये।

12. निधियों इत्यादि का उपयोजन.- प्राधिकरण में या उसके व्ययन पर निहित समस्त सम्पत्तियां, निधि और अन्य आस्तियां उसके द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और इसके उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, धारित और उपयोजित की जायेंगी, अन्यथा नहीं।

13. लेखे और संपरीक्षा.- (1) प्राधिकरण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, लेखे रखेगा।

(2) प्राधिकरण के लेखे, निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षा किये जाने के अध्यक्षीन रहेंगे।

(3) प्राधिकरण, निधि में से संपरीक्षा के लिए ऐसे प्रभारों का संदाय करेगा जो विहित किये जायें।

14. बजट.- (1) प्राधिकरण प्रतिवर्ष ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाये, प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों को दर्शित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट प्राक्कलन तैयार करेगा और इसे अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) प्राधिकरण अपने खर्चों को सर्वथा राज्य सरकार द्वारा यथाअनुमोदित बजट प्राक्कलनों के भीतर रखेगा।

15. वार्षिक रिपोर्ट.- (1) प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, पूर्व वर्ष के दौरान किये गये अपने क्रियाकलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे चालू वर्ष के 30 सितम्बर के पूर्व राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) राज्य सरकार लेखाओं के विवरण सहित ऐसी वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखवायेगी।

16. प्राधिकरण की निदेश देने की शक्तियां.- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राजस्थान विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण, राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी को ऐसे निदेश दे सकेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों और ऐसे निदेश ऐसे विभाग या, यथास्थिति, अधिकारी पर आबद्ध कर होंगे।

17. सूचना मांगने की प्राधिकरण की शक्ति.- प्राधिकरण को राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी कोई भी सूचना मांगने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों के पालन में उसके द्वारा अपेक्षित हो, और ऐसा विभाग या व्यक्ति ऐसी सूचना देने के लिए आबद्ध होगा।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

18. राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण.- (1) प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन, जल संसाधनों के संबंध में

राज्य सरकार की किसी नीति और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन रहते हुए, करेगा।

(2) प्राधिकरण राज्य सरकार के ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा जो उसके द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए जारी किये जायें।

19. प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का लोक सेवक समझा जाना.- प्राधिकरण का अध्यक्ष, सदस्य और प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा

20. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, परिषद् या प्राधिकरण या उनके अध्यक्षों या सदस्यों या इनके अधिकारियों या कर्मचारियों या, यथास्थिति, परिषद् या प्राधिकरण के निदेशों के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही पोषणीय नहीं होगी।

21. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियमों में से किसी भी नियम में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी

उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

22. प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति.- (1) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, प्राधिकरण, इस अधिनियम के अनुसार विनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने वाले अपेक्षित ऐसे समस्त मामलों या इनमें से किसी मामले के लिए और साधारणतया अन्य समस्त मामलों के लिए विनियम बना सकेगा जिनके लिए प्राधिकरण की राय में, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन इसकी शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उपबंध आवश्यक हैं।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाया गया कोई भी विनियम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह राजपत्र में प्रकाशित नहीं हो गया हो।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी समय, प्राधिकरण द्वारा बनाये गये किसी भी विनियम को पूर्णतः या भागतः निरसित, या उपान्तरित कर सकेगी परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व राज्य सरकार प्राधिकरण को वे आधार संसूचित करेगी जिन पर ऐसा किया जाना वह प्रस्तावित करती है, प्राधिकरण के लिए इस प्रस्ताव के विरुद्ध कारण बतलाने के लिए युक्तियुक्त कालावधि नियत करेगी, और प्राधिकरण के स्पष्टीकरण और आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी।

(4) किसी विनियम का निरसन या उपान्तरण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा और ऐसी तारीख के पूर्व की गयी या लोपित की गयी या होने दी गयी कोई बात उससे प्रभावित नहीं होगी।

23. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, कोई भी ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

24. प्राधिकरण का विघटन.- (1) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि वह प्रयोजन, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की स्थापना की गयी थी, सारवान् रूप से पूरा किया जा चुका है जिसके कारण राज्य सरकार की राय में प्राधिकरण का अस्तित्व में बना रहना अनावश्यक हो गया है, वहां राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकेगी कि प्राधिकरण ऐसी तारीख से विघटित हो जायेगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये और प्राधिकरण तदनुसार विघटित हुआ समझा जायेगा।

(2) उक्त तारीख से -

- (क) समस्त आस्तियां, सम्पत्तियां, निधियां और बकाया जो प्राधिकरण में निहित हों या जो उसके द्वारा वसूलीय हों, राज्य सरकार में निहित होंगी या उसके द्वारा वसूलीय होंगी;
- (ख) समस्त देयताएं, जो प्राधिकरण के विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं, राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगी; और
- (ग) कोई कृत्य, जो प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः निष्पादित नहीं किया गया है, उसका निष्पादन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

25. 2013 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 का संशोधन.- इस अधिनियम के प्रारम्भ से राजस्थान जल संसाधन विनियामक अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम सं. 38) इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधित हो जायेगा।

अनुसूची

(धारा 25 देखिये)

- (i) धारा 2 का खण्ड (घ) हटाया जायेगा।
- (ii) धारा 2 का खण्ड (ज) हटाया जायेगा।
- (iii) धारा 2 का खण्ड (ठ) हटाया जायेगा।
- (iv) धारा 11 का खण्ड (च) हटाया जायेगा।
- (v) धारा 11 का खण्ड (ढ) हटाया जायेगा।
- (vi) धारा 12 की उप-धारा (2) हटायी जायेगी।
- (vii) अध्याय 4 (इसकी समस्त धाराओं सहित) हटाया जायेगा।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, April 24, 2015

No. F. 2 (45) Vidhi/2/2014.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the Following translation in the English language of the Rajasthan Nadi Basin aur Jal Sansadhan Yojana Adhinyam, 2015 (2015 Ka Adhinyam Sankhyank 15):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN RIVER BASIN AND WATER
RESOURCES PLANNING ACT, 2015
(Act No. 15 of 2015)**

[Received the assent of the Governor on the 24th day of April, 2015]

An

Act

for the establishment of State Water Resources Advisory Council and Rajasthan River Basin and Water Resources Planning Authority to adopt an Integrated Water Resources Management approach for management and development of river basins and sub-basins on sustainable basis by planning of all watershed,

irrigation and drinking water projects covering the basins, sub-basins, aquifers and watersheds to develop state level water resources plans to ensure optimal and efficient utilization of ground and surface water including inter basin water transfer, interlinking of rivers from surplus to deficit basins, sub-basins and to amend the Rajasthan Water Resources Regulatory Act, 2012 .

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan River Basin and Water Resources Planning Act, 2015.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) “aquifer” means an underground layer of water bearing permeable rock or unconsolidated materials (gravel, sand or silt) from which ground water can be extracted;

(b) “Authority” means the Rajasthan River Basin and Water Resources Planning Authority constituted under section 5;

(c) “Commissioner” means the commissioner of the Authority appointed under section 7;

(d) “Council” means the State Water Resources Advisory Council constituted under section 3;

(e) “Four Waters Concept” means the concept of integrated command and catchment area development for making rivers live and inter linking of rivers by effectively using rain water, surface water, underground water and soil moisture;

(f) “Fund” means the Fund constituted under section 11;

- (g) “integrated water resources management” means a process which promotes the coordinated development and management of water resources;
- (h) “integrated multi disciplinary approach” means the planning which involves various sectors like engineering, planning, economics and other social science;
- (i) “prescribed” means prescribed by the rules made under this Act;
- (j) “pressure irrigation” means sprinkler or drip irrigation system for efficient use of water in irrigation;
- (k) “regulations” means the regulations of the Authority made under section 22;
- (l) “river basin” means a land area that is drained by a river and its tributaries and is a hydrological unit for river basin planning;
- (m) “rules” means the rules made under section 21;
- (n) “State Water Policy” means the Water Policy of the State;
- (o) “sub-basin” means a hydrologic unit, or a hydrologic sub-unit of a river basin within the State;
- (p) “watershed” means a region or area bounded peripherally by a divide and draining ultimately to a water course or water body;
- (q) “water related departments” means the departments involved in planning and utilization of Water Resources of the State.

CHAPTER II

State Water Resources Advisory Council

3. State Water Resources Advisory Council.- (1) As soon as may be after the commencement of this Act, the State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a Council to be known as the Rajasthan State Water

Resources Advisory Council to exercise the powers conferred on, and perform the functions assigned to, it under this Act.

(2) The Council shall consist of the following Members, namely:-

- | | | |
|--------|---|--------------|
| (i) | the Chief Minister | Chairperson; |
| (ii) | Chairperson of the Rajasthan River Basin and Water Resources Planning Authority | Member; |
| (iii) | the Minister incharge of the Water Resources Department | Member; |
| (iv) | the Minister incharge of the Agriculture Department | Member; |
| (v) | the Minister incharge of the Rural Development and Panchayati Raj Department | Member; |
| (vi) | the Minister incharge of the Public Health Engineering Department | Member; |
| (vii) | the Minister incharge of the Finance Department | Member; |
| (viii) | the Minister incharge of the Planning Department | Member; |
| (ix) | the Minister incharge of the Urban Development Department | Member; |
| (x) | the Minister incharge of the Industries Department | Member; |
| (xi) | the Minister incharge of the Environment and Forest Department | Member; |
| (xii) | the State Minister incharge of Water Resources Department | Member; |
| (xiii) | Four persons having experience of at least twenty years in water resources sector including experience as Chief Engineer in | Members; |

the Water Resources Department
of the State Government.

(xiv) the Chief Secretary Member-Secretary.

(3) The members specified at clause (xiii) of sub-section (2) shall be nominated by the State Government and such a member shall hold office for five years from the date on which he enters upon his office or during the pleasure of the State Government, whichever is earlier.

(4) The terms and conditions of service, including remuneration and allowances, of the members specified at clause (xiii) of sub-section (2) shall be such as may be prescribed.

(5) A member specified at clause (xiii) of sub-section (2) may resign his office by a notice in writing submitted thirty days in advance to the Chairperson of the Council.

(6) The headquarters of the Council shall be at Jaipur or at such other place as the State Government may notify.

(7) The Council shall meet at least once in six months; however, the Chairperson shall have power to call a meeting of the Council at any time.

(8) The Council shall follow such rules of procedure while transacting business at its meetings as may be prescribed.

(9) In absence of the Chairperson, the meeting of the Council shall be presided over by any other member nominated for the purpose by the Chairperson.

4. Powers and functions of the Council.- The Council shall exercise and discharge following powers and functions, namely:-

- (a) to advise and recommend to the State Government integrated water resources management policy consistent with State Water Policy;
- (b) to supervise and monitor the functioning of the Authority;

- (c) to consider and approve, with or without modifications, Integrated Water Resources plan of the State submitted by the Authority;
- (d) to consider and approve, with or without modifications, water resources development projects submitted by the Authority;
- (e) to recommend to the State Government inter-basin and inter sub-basin water transfer;
- (f) to recommend to the State Government interlinking of rivers for integrated water resources development.

CHAPTER III

Rajasthan River Basin and Water Resources Planning Authority

5. Constitution of Rajasthan River Basin and Water Resources Planning Authority.- (1) As soon as may be after the commencement of this Act, the State Government shall, by notification in the Official Gazette, establish an authority to be known as the Rajasthan River Basin and Water Resources Planning Authority to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

(2) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and may sue or be sued by its corporate name.

(3) The Authority shall consist of a Chairperson and the following other members, namely:-

- | | | |
|-------|---|---------|
| (i) | the Chief Secretary | Member; |
| (ii) | Secretary of the Water Resources Department | Member; |
| (iii) | Secretary of the Finance Department | Member; |

(iv)	Secretary of the Public Health Engineering Department	Member;
(v)	Secretary of the Panchayati Raj and Rural Development	Member;
(vi)	Secretary of the Urban Development and Housing Department	Member;
(vii)	Secretary of the Local Self Government Department	
(viii)	Secretary of the Environment and Forest Department	Member;
(ix)	Secretary of the Industries Department	Member;
(x)	Secretary of the Command Area Development Department	Member;
(xi)	Secretary of the Agriculture Department	Member;
(xii)	Director of Watershed and Soil Conservation Department	Member;
(xiii)	two experts from the field of Water Resources Engineering	Members;
(xiv)	two experts in the field of Water Resources Economy	Members;
(xv)	Commissioner of the Rajasthan River Basin and water Resources Planning Authority	Member-Secretary.

(4) The Chairperson and expert members shall be nominated by the State Government and the Chairperson and expert members shall hold office for five years from the date on which they enter upon their office or during the pleasure of the State Government, whichever is earlier.

(5) The terms and conditions of service, including remuneration and allowances, of the Chairperson and expert members shall be such as may be prescribed.

(6) The Chairperson or an expert member may resign his office by a notice in writing submitted thirty days in advance to the State Government.

(7) The headquarters of the Authority shall be at Jaipur or at such other place as the State Government may notify.

(8) The Authority shall meet at least once in three months; however, the Chairperson shall have power to call a meeting of the Authority at any time.

(9) The Authority shall follow such rules of procedure while transacting business at its meetings as may be prescribed.

Explanation.- For the purposes of this section, “Secretary” means the Secretary to the Government incharge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary, when he or she is incharge of a department.

6. Power to Constitute committees.- The Authority may, for carrying out its functions under this Act, constitute such committees from amongst its members or otherwise as it think fit and delegate to such committees such of its powers under this Act, with or without condition, as it may think fit.

7. Staff of the Authority.- (1) There shall be appointed by the State Government an officer not below the rank of a Secretary to the Government to be the Commissioner of the Authority.

(2) The Authority may, with the prior approval of the State Government, create such number and category of posts of officers and other employees in the Authority as it considers necessary to carry out its functions under this Act and make appointment thereto.

(3) The salary and allowances and other terms and conditions of service of the officers and employees of the Authority shall be such as may be determined by the Authority by regulations and shall be paid out from the Fund.

(4) The Authority may, with the prior approval of the State Government, also engage such experts and technical persons on contract basis as it considers necessary to carry out its functions under this Act on such terms and conditions as it may determine

and the expenditure incurred on account of engagement of such experts or technical persons shall be paid out from the Fund.

(5) The Commissioner and other officers and employees of the Authority shall be subject to the control and supervision of the Chairperson and shall exercise such powers and discharge such functions as may be conferred on, or assigned to, them by the Authority from time to time.

8. Vacancies, etc., not to invalidate proceedings of the Authority.- No act or proceeding of the Authority shall be invalid merely by reason of -

- (a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Authority; or
- (b) any defect in the appointment of a person acting as member of the Authority; or
- (c) any irregularity in the procedure of the Authority not affecting the merits of the case.

9. Authentication of orders, etc.- All proceedings of the Authority shall be authenticated by the signatures of the Chairperson or of any member authorized by the Chairperson in this behalf and all other orders and instruments of the Authority shall be authenticated by any other officer of the Authority authorized by it by regulations.

10. Powers and Functions of the Authority.- The Authority shall exercise and discharge following powers and functions, namely:-

- (a) to recommend to the Council the Integrated State Water Resources Plan proposed by Water Resources Planning Department of the State Government;
- (b) to recommend to the Council water resources projects proposed by Water Resources Planning Department of the State Government on the basis of the basin and sub-basin wise plans;
- (c) to ensure that the Integrated State Water Resources Plan and water resources projects proposed by

Water Resources Planning Department of the State Government are in conformity with the economic, hydrologic and environmental viability and where relevant, are in consonance with the State's obligations under inter-state agreements and awards of water dispute tribunals;

- (d) to ensure that the Integrated State Water Resources Plan and water resources projects proposed by Water Resources Planning Department of the State Government are in conformity with concept of Integrated Water Resources Management;
- (e) to recommend the Council inter basin water transfer from surplus to deficit basins including interlinking of rivers to ensure optimal and efficient utilization of surface water;
- (f) to endeavor to develop navigational facilities for inland water transport in major rivers and canals;
- (g) to formulate action plan for making rivers and its streams perennial or semi-perennial by undertaking activities for-
 - (i) watershed development;
 - (ii) construction of micro or minor irrigation tanks;
 - (iii) construction of check dams downstream of micro or minor irrigation tanks; and
 - (iv) construction of series of barrages on river streams;
- (h) to secure compliance of all decisions, directions and resolutions passed by the Council;
- (i) to coordinate with the departments of the State Government for efficient implementation of water resources plans or projects;
- (j) to facilitate and ensure development, maintenance and dissemination, of a comprehensive hydro-meteorological information data base;

- (k) to promote pressure irrigation for efficient use of water resources;
- (l) to pursue the interlinking projects of Sharada-Yamuna, Yamuna-Rajasthan and Rajasthan-Sabarmati and such other major river interlinking projects as the Council or the State Government may direct;
- (m) to endeavor to develop fisheries in minor irrigation tanks and rivers which are rendered perennial.

11. Funds of the Authority.- (1) There shall constitute a Fund of the Authority to which shall be credited all moneys received by the Authority, including-

- (a) such moneys as may be paid to the Authority by the State Government, Central Government or any other authority or agency by way of grants, loans, advances or otherwise;
- (b) any other amount received by the Authority.

(2) The Authority may keep in saving or deposit account with any Scheduled Bank or any Co-operative or other Bank approved by the State Government in this behalf, such sum of money out of the Fund as may be determined by the Authority and any money in excess of the said sum shall be invested in such manner as may be determined by regulations.

(3) Such accounts shall be operated by such officer of the Authority as may be authorized by it by regulations.

12. Application of Fund, etc.- All properties, Fund and other assets vesting in, or at the disposal of, the Authority shall be held and applied by it for the purposes and subject to the provisions of this Act and not otherwise.

13. Accounts and audit.- (1) The Authority shall keep accounts in such form and in such manner as may be prescribed.

(2) The accounts of the Authority shall be subject to audit by the Director, Local Fund Audit Department in accordance with the provisions of the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954 (Act No. 28 of 1954).

(3) The Authority shall pay from the Fund such charges for the audit as may be prescribed.

14. Budget.- (1) The Authority shall prepare, every year, in such form and at such time as may be prescribed, an annual budget estimates in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditures of the Authority and submit it for the approval of the State Government.

(2) The Authority shall keep its expenditures strictly within the budget estimates as approved by the State Government.

15. Annual Report.- (1) The Authority shall prepare at the end of each financial year, a report of its activities during the previous year and submit it to the State Government before the 30th day of September of the current year.

(2) The State Government shall cause such annual report including the statement of accounts to be laid before the House of the State Legislature.

16. Powers of the Authority to give directions.- Notwithstanding anything contained in any Rajasthan law for the time being in force, the Authority may give such directions to any department of the State Government or any officer or employee thereof, as may be necessary for carrying out the purposes of this Act and such directions shall be binding on such department, or officer, as the case may be.

17. Power of Authority to call for information.-The Authority shall have power to call for any information from any department of the State Government or any other person which is required by it in the exercise of its powers and the performance of its functions under this Act or the rules or regulations made thereunder, and such department or person shall be bound to furnish such information.

CHAPTER IV

Miscellaneous

18. Control by the State Government.- (1) The Authority shall exercise its powers and perform its duties under this Act or

rules and regulations made thereunder, subject to any policy and guidelines of the State Government in respect of Water Resources.

(2) The Authority shall be bound to comply with such directions of the State Government as may be issued by it for carrying out the purposes of this Act.

19. Officers and other employees of the Authority to be public servants.- The Chairperson, members, and every officer and employee, of the Authority shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

20. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall be maintainable against the Council or the Authority or the Chairpersons or members or officers or employees thereof or any person acting under the direction of the Council or the Authority, as the case may be, in respect of anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of this Act or the rules or regulations made thereunder.

21. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

22. Power of the Authority to make regulations.- (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority may make regulations for all or any of the matters

required by this Act to be provided by regulations and generally for all other matters for which provision is, in the opinion of the Authority, necessary for the exercise of its powers and the discharge of its functions under this Act or the rules made thereunder.

(2) No regulation made by the Authority under sub-section (1) shall take effect unless it is published in the Official Gazette.

(3) The State Government may, at any time by notification in the Official Gazette, repeal wholly or in part or modify any regulation made by the Authority provided that, before taking any action under this sub-section, the State Government shall communicate to the Authority the grounds on which it proposes to do so, fix a reasonable period for the Authority to show cause against the proposal and consider the explanation and objections, if any, of the Authority.

(4) The repeal or modification of any regulation shall take effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette, if no date is therein specified, and shall not affect anything done or omitted or suffered before such date.

23. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after the expiry of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is so made, before the House of the State Legislature.

24. Dissolution of the Authority.- (1) Where the State Government is satisfied that the purpose for which the Authority was established under this Act have been substantially achieved so as to render the continued existence of the Authority in the opinion of the State Government unnecessary, it may, by notification in the

Official Gazette, declare that the Authority shall be dissolved with effect from such date as may be specified in the notification; and the Authority shall be deemed to be dissolved accordingly.

(2) From the said date -

- (a) all assets, properties, funds and dues which are vested in, or realisable by the Authority shall vest in, or be realisable by, the State Government;
- (b) all liabilities which are enforceable against the Authority shall be enforceable against the State Government; and
- (c) any function which has not been fully carried out by the Authority shall be carried out by the State Government.

25. Amendment of Rajasthan Act No. 38 of 2013.- From the commencement of this Act, the Rajasthan Water Resources Regulatory Act, 2012 (Act No. 38 of 2013) shall stand amended to the extent specified in the Schedule of this Act.

SCHEDULE

(See section 25)

- (i) Clause (d) of section 2 shall be deleted.
- (ii) Clause (h) of section 2 shall be deleted.
- (iii) Clause (l) of section 2 shall be deleted.
- (iv) Clause (f) of section 11 shall be deleted
- (v) Clause (n) of section 11 shall be deleted
- (vi) Sub-section (2) of Section 12 shall be deleted.
- (vii) Chapter-IV(with all its sections) shall be deleted.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.